

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 843/2015 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 02.11.2015

फाइलिंग नंबर : 230303015642015

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—मलखानसिंह गुर्जर पुत्र गब्बरसिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष

2—गब्बरसिंह पुत्र राजारामसिंह गुर्जर उम्र 55 वर्ष
निवासी ग्राम प्रताप पुरा थाना गोहद जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा—294, 324, 506 भाग दो भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव)

निर्णय

(आज दिनांक 18-09-2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 08.10.15 को दोपहर लगभग तीन बजे रामवरन की दुकान के सामने गोलम्बर तिराहा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी अमरेश गुर्जर को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी अमरेश गुर्जर को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी अमरेश गुर्जर की आक्रामक धारदार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भाग दो एवं 324 के अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.10.15 को दोपहर लगभग तीन बजे फरियादी गोलम्बर तिराहा गोहद पर डीजल ले जाने के लिए खड़ा था फरियादी अमरेश गुर्जर रामवरन से अपने भाड़े के पैसे लेने के संबंध में बातें कर रहा था तो रामवरन ने मोबाइल से मलखान गुर्जर को पैसे देने के लिए बुलाया था। मलखान एवं उसके चाचा आये थे तो उसने आरोपीगण से पैसे देने के लिए कहा था तो दोनों आरोपीगण उसे मां-बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे तथा पैसे देने से मना किया था। उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो आरोपी मलखान ने पीछे से उसके डण्डा मारा था जो उसके बांये गाल के पास लगा था। मलखान के चाचा ने लात घूंसे से उसकी मारपीट की थी मौके पर रामवरन एवं पास खड़े लोगों ने उसे बचाया था आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप0क0 327/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

03. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

04. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08.10.15 को दोपहर लगभग तीन बजे रामवरन की दुकान के सामने गोलम्बर तिराहा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी अमरेश गुर्जर को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अमरेश गुर्जर को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभिवास कारित किया ?
3. क्या घटना दिनांक को फरियादी अमरेश गुर्जर के शरीर पर उपहतियां थीं ? यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
4. क्या उक्त उपहतियां फरियादी अमरेश गुर्जर को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छया कारित की गयीं ?

05. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी रामवरन बघेल अ0सा01, रहीम खां अ0सा02, डॉ0 जे0पी0 गुप्ता अ0सा03, प्र0आरक्षक प्रमोद पावन, अ0सा04 एवं फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबकि

आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि ६ टना दिनांक 08.10.15 को दोपहर तीन बजे की है वह गोहद डीजल लेने के लिए खड़ा था। वह रामवरन दुकानदार से अपने भाड़े के पैसे के संबंध में बात कर रहा था तो रामवरन ने मलखान गुर्जर को पैसे देने के संबंध में बुलाया था तो मलखान एवं उसके चाचा गब्बरसिंह आये थे दोनों लोग उसे मां-बहन की गालियां देने लगे थे जो उसे सुनने में बुरी लगी थीं।

07. साक्षी रामवरन अ0सा01 एवं रहीम खान अ0सा02 द्वारा उक्त बिन्दु पर कोई कथन नहीं दिया गया है।

08. इस प्रकार फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी मलखान एवं उसके चाचा गब्बर द्वारा उसे मां-बहन की गालियां देना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था। जहां कई आरोपीगण पर गालियां दिए जाने का आरोप हो वहां साक्षी का मात्र यह कह देना पर्याप्त न होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थीं। साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं है।

09. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने दोनों आरोपीगण द्वारा मां-बहन की गालियां दिया जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण ने वास्तविक रूप से क्या कहा था जिसे सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास

कारित हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भादस की धारा 506 भाग दो को प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गयी धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो। मात्र क्षणिक आवेश में दी गयी तुच्छ धमकियों से भादस की धारा 506 भाग दो का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा दी गयी धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो का अपराध प्रमाणित नहीं होता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ0 जे0पी0 गुप्ता अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 08.10.15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक बी0एस0 जामरे द्वारा लाये जाने पर फरियादी अमरेश का चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने अमरेश के बायीं तरफ कान पर नुकीला घाव पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट सख्त एवं भौथरी वस्तु से पहुंचायी गयी थी एवं उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 24 घण्टे के अंदर की थी तथा साधारण प्रकृति की थी उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आहत को आई चोट गिरने से आना संभव है।

13. फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने भी अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके कान के पास चोट आना बताया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन उसके कान के पास चोट होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। प्र0पी-5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी अमरेश के बाये कान के पास चोट होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी अमरेश अ0सा05 का कथन प्र0पी-5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। उक्त बिन्दु पर फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 के कथन का समर्थन डॉ0 जे0पी0गुप्ता अ0सा03 द्वारा भी किया गया है। डॉ0 जे0पी0गुप्ता अ0सा03 चिकित्सीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी है उसकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी अमरेश गुर्जर के शरीर

पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है। फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी अमरेश के शरीर पर उपहति थी जिसकी प्रकृति साधारण थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04

14. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या फरियादी अमरेश गुर्जर को उक्त उपहति आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया कारित की गयी थी ? उक्त संबंध में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 08.10.15 को दोपहर के तीन बजे की है वह गोहद डीजल लेने के लिए खड़ा था वह रामवरन दुकानदार से अपने भाड़े के पैसे के संबंध में बात कर रहा था तो रामवरन ने मोबाइल से फोन करके मलखान गुर्जर को पैसे देने के संबंध में बुलाया था। मलखान एवं उसके चाचा आये थे। दोनों लोग उसे मां-बहन की गालियां देने लगे थे। मलखान गुर्जर ने पीछे से उसके डण्डा मारा था जो उसके कान के पास लगा था खून निकल आया था फिर मलखान के चाचा गब्बर ने लात घूंसों से उसकी मारपीट की थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में लिखाई थी जो प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-4 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि झगड़ा दोपहर के तीन बजे हुआ था झगड़े के समय रामवरन बघेल व रहीम खान आ गये थे। झगड़े के समय उसे आरोपीगण के नाम मालूम नहीं थे। उसने अपने जीजा शिशुपाल गुर्जर एवं अरविन्द गुर्जर से आरोपीगण के नाम पता किए थे आरोपीगण के नाम पता करने के करीब आधा पौन घण्टे बाद उसने थाने पर रिपोर्ट की थी।

16. साक्षी रामवरन अ0सा01 एवं रहीम खान अ0सा02 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगणों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17. प्र0आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा04 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

18. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध मात्र फरियादी के कथन शेष हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना

जा सकता है।

19. बचाव पक्ष अधिवक्ता का सर्वप्रथम यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में साक्षी रामवरन बघेल अ0सा01 एवं रहीम खान अ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि फरियादी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हों तो मात्र इस आधार पर फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 के कथन इतने विश्वसनीय हैं जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह रामवरन दुकानदार से अपने भाड़े के पैसों के संबंध में बात कर रहा था एवं रामवरन ने मोबाइल से फोन करके मलखान गुर्जर को पैसे देने के लिए बुलाया था तो मलखान एवं उसके चाचा गब्बरसिंह आये थे तथा मलखान ने पीछे से उसके डण्डा मारा था जो उसके कान के पास लगा था उसके खून निकल आया था एवं मलखान के चाचा गब्बरसिंह ने लात घूँसों से उसकी मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को झगड़े से पहले नहीं जानता था एवं झगड़े के समय आरोपीगण के नाम उसे मालूम नहीं थे। उसने अपने जीजा शिशुपालसिंह एवं अरविन्दसिंह गुर्जर से आरोपीगण के नाम पता किए थे इस प्रकार अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसे आरोपीगण के नाम शिशुपालसिंह एवं अरविन्दसिंह ने बताये थे परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी का ऐसा कहना नहीं है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता था। फरियादी के उक्त कथन से मात्र यही प्रकट होता है कि फरियादी को आरोपीगण के नाम की जानकारी नहीं थी। बचाव पक्ष की ओर से आरोपीगण की पहचान के संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में मात्र उक्त कथन से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी ने आरोपीगण की जे.सी.बी. मशीन से खेत का कार्य कराया था एवं उक्त कार्य के पैसे न देने पड़ें इस कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कराया गया है परन्तु बचाव पक्ष द्वारा उक्त लिए गए बचाव के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में उक्त तर्क से भी आरोपीगण

को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

22. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान थी तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-5 के लेखक को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन द्वारा प्र0पी-5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है परन्तु यह प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने अपने कथन में आरोपी मलखान द्वारा उसकी डण्डे से एवं आरोपी गब्बरसिंह द्वारा उसकी लात घूँसों से मारपीट करना बताया है उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। फरियादी द्वारा घटना की सूचना थाने पर यथाशीघ्र दी गयी है। फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 का कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी-5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। डॉ0 जे0पी0गुप्ता अ0सा03 ने भी फरियादी के शरीर के उसी भाग पर चोट होना बताया है जिस भाग पर मारपीट के दौरान चोट आना फरियादी अमरेश गुर्जर द्वारा बताया गया है। इस प्रकार फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 के कथन की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हो रही है एवं जहां फरियादी का कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां फरियादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

25. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी अमरेश गुर्जर की मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।

26. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण ने फरियादी अमरेश गुर्जर को स्वेच्छया उपहति कारित की थी ? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पैसों को लेकर आपस में विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद के कारण आरोपीगण द्वारा फरियादी की डण्डे एवं लात घूँसों से मारपीट की गयी

थी। आरोपीगण वयस्क व्यक्ति हैं एवं मारपीट करते समय यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरह से एवं जिस आयुध से फरियादी अमरेश गुर्जर की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी को उपहति कारित होनी संभावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी अमरेश गुर्जर को उपहति कारित की गयी हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी अमरेश गुर्जर को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

27. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण पर फरियादी अमरेश गुर्जर की मारपीट के संबंध में भा0द0स0 की धारा 324 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी मलखान ने फरियादी की डण्डे से एवं आरोपी गब्बरसिंह ने फरियादी अमरेश की लात घूंसे से मारपीट की थी। फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में भी आरोपी मलखान द्वारा उसकी डण्डे से एवं गब्बरसिंह द्वारा उसकी लात घूंसे से मारपीट करना बताया है। भा0द0स0 की धारा 324 के अनुसार – “जो कोई असन वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जोकि यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाये तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है या किसी जीव जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगादण्डित किया जायेगा।”

इस प्रकार भा0द0स0 की धारा 324 को आकृष्ट होने के लिए यह आवश्यक है कि उपहति असन वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या अग्नि विष द्वारा कारित की गयी हो। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने आरोपी मलखान द्वारा उसकी डण्डे से एवं आरोपी गब्बरसिंह द्वारा उसकी लात घूंसे से मारपीट करना बताया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि आरोपीगण द्वारा किसी धारदार अथवा नुकीले आयुध से फरियादी अमरेश की मारपीट की गयी हो। जहां तक आक्रामक आयुध का प्रश्न है तो कोई आयुध आक्रामक आयुध है या नहीं इसका निर्धारण उक्त आयुध की प्रकृति उसकी तीक्ष्णता के आधार पर किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अमरेश गुर्जर ने आरोपी मलखान द्वारा उसकी डण्डे से मारपीट करना बताया है परन्तु प्रकरण में डण्डे की जप्ती नहीं हुई है। डण्डे के आकार प्रकार एवं तीक्ष्णता के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति डण्डे को आक्रामक आयुध नहीं माना जा सकता है।

28. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अमरेश गुर्जर अ0सा05 ने आरोपीगण द्वारा उसकी डण्डे एवं लात घूंसे से मारपीट करना बताया

है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि आरोपीगण द्वारा किसी धारदार अथवा खतरनाक आयुध से फरियादी की मारपीट की गयी हो ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 324 आकृष्ट नहीं होती है एवं आरोपीगण का कृत्य भा0द0स0 की धारा 324 की परिधि में न आते हुए भा0द0स0 की धारा 323 की परिधि में आता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण पर भा0द0स0 की धारा 324 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं परन्तु आरोपीगण का कृत्य भा0द0स0 की धारा 323 की परिधि में आता है। यद्यपि आरोपीगण पर भा0द0स0 की धारा 323 के अंतर्गत आरोप विरचित नहीं किए गए हैं परन्तु भा0द0स0 की धारा 324 धारा 323 से गुरुत्तर है एवं धारा 324 में धारा 323 का कृत्य भी समाहित है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण पर प्रथम से भा0द0स0 की धारा 323 का आरोप विरचित करने की आवश्यकता नहीं है एवं आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 323 के आरोप में विधि अनुसार दण्डित किया जा सकता है।

29. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी संपूर्ण विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 08.10.15 को दोपहर लगभग तीन बजे रामवरन की दुकान के सामने गोलम्बर तिराहा गोहद में फरियादी अमरेश गुर्जर की डण्डे एवं लात घूंसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी मलखान एवं गब्बरसिंह को भा0द0स0 की धारा 323 के आरोप में दोषी पाती है।

30. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी मलखानसिंह एवं गब्बरसिंह को भा0द0स0 की धारा 294 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 323 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

31. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:—

32. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

33. आरोपीगण अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी अमरेश गुर्जर की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण वर्ष 2015 से विचारण का सामना कर रहे हैं। फरियादी को आई चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अतः फरियादी की चोटों की प्रकृति एवं प्रकरण परिस्थितियों को देखते आरोपीगण को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है। फलतः यह न्यायालय आरोपी मलखान एवं गब्बरसिंह में से प्रत्येक को भा0द0स0 की धारा 323 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं आठ-आठ सौ रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 10-10 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित करती है।

34. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

35. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

36. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे है।

स्थान – गोहद

दिनांक –18.09.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)